20 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES | 5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES | 5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

101

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर ~~कैम्प सागर संभाग सागर~~

मनीष सिंह तनय रामभरोसे सेंगर , नि= 863 - II -16

निबासी– ग्राम सावंत नगर तहसील ओरछा, जिला टीकमगढ़ म0प्र0

.................आवेदक

वनाम

म0प्र0 शासन द्वारा तहसीलदार ओरछा .... अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता :–

आवेदकगण की ओर से निम्न प्रार्थना है :–

1– यह कि आवेदक यह निगरानी न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा द्वारा प्र0क्र0 102/बी121/2014–15 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 12/02/2015 से परिवेदित होकर कर रहे हैं। माननीय न्यायालय को निगरानी सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

2– यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा एक आवेदनपत्र कलेक्टर टीकमगढ़ को प्रस्तुत किया गया, कि आवेदक के नाम से ग्राम सावंतनगर, तहसील ओरछा, के खसरा नंबर 2/1 की भूमि, भूमिस्वामी हक में राजस्व अभिलेख में दर्ज है। उपरोक्त भूमि से लगकर खसरा 2/2 रकवा 1.684 हैक्टर शासकीय भूमि है, उपरोक्त शासकीय भूमि अनपुयोगी कंकड़ीली पथरीली है, जिस पर आवेदक द्वारा पर्यावरण संरक्षण के मान से एवं भू माफियाओं के कब्जा से बचाने के उददेश्य से बृक्षारोपड़ करने की अनुमति वावद एक आवेदनपत्र कलेक्टर टीकमगढ़ को प्रस्तुत किया था। जिसके आधार पर उनके द्वारा प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी निवाड़ी को जांच वावद भेज दिया गया था। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उपरोक्त प्रकरण जांच वावद तहसीलदार महोदय ओरछा को भेजा गया था। तहसीलदार द्वारा प्रकरण की विधिवत जांच करके अपने द्वारा एक प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी महोदय के माध्यम से कलेक्टर को अनुमति प्रदान करने की अनुशंसा सहित प्रेषित किया। जिसे उनके द्वारा इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि नजूल भूमि में बृक्षारोपड़ की अनुमति प्रदान करने का प्रावधान संहिता की धारा 239 में

XXXIX(a)-BR(H)-11 -2-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निग. प्रकरण क्रमांक 863 / II / 2016 जिला – टीकमगढ़

स्थान तथा दनांक	कार्यवाही तथा आदेश मनीष सिंह सेंगर वनाम म0 प्र0 शासन	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14-3-16	(1) 1– मैंने प्रकरण का अवलोकन किया, आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अधिनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग द्वारा प्रकरण कमांक 102/बी121/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 12/02/2015 से परिवेदित होकर की है। निगरानी के साथ धारा 05 म्याद अधिनियम का आवेदनपत्र तथा सूची अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। 2– यह कि आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के प्रकरण की ग्रहयता पर तर्क श्रवण किये गये तथा प्रश्नाधीन आदेश एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। निगरानी प्रस्तुत होने में हुआ बिलंब समाधानप्रद होने से माफ किया जाता है। 2– यह कि आवेदक के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों में उन्हीं तथ्यों को दुहराया जो निगरानी आवेदनपत्र में लेख हैं। निगरानी के साथ संलग्न दस्तावेजों के अनुसार आवेदक द्वारा एक आवेदनपत्र कलेक्टर टीकमगढ़ को प्रस्तुत किया गया, कि आवेदक के नाम से ग्राम सावंतनगर , तहसील ओरछा, के खसरा नंबर 2/1 की भूमि, भूमिस्वामी हक में राजस्व अभिलेख में दर्ज है। उपरोक्त भूमि से लगकर खसरा 2/2 रकवा 1.684 हैक्टर शासकीय भूमि है, अनपुयोगी कंकड़ीली पथरीली है, जिस पर आवेदक द्वारा पर्यावरण संरक्षण के मान से एवं भू माफियाओं के कब्जा से बचाने के उददेश्य से बृक्षारोपड़ करने की अनुमति वावद आवेदनपत्र प्रस्तुत किया था। जिसके आधार पर प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी निवाड़ी को जांच वावद भेज दिया था। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उपरोक्त प्रकरण जांच वावद तहसीलदार को भेजा गया। तहसीलदार द्वारा प्रकरण की विधिवत जांच करके अपने द्वारा एक प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को अनुमति प्रदान करने की अनुशांसा सहित प्रेषित किया। जिसे उनके द्वारा इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि नजूल भूमि में बृक्षारोपड़ की अनुमति प्रदान करने का प्रावधान संहिता की धारा 239 में नहीं है। जिसकी अपील अपर आयुक्त सागर संभाग को करने पर उनके द्वारा भी प्रकरण निरस्त किया गया। जिससे परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 3– यह कि आवेदक के आवेदनपत्र के आधार पर तहसीलदार द्वारा जो जांच की गई है, उसमें इश्तहार जारी होने पर कोई आपत्ति नहीं आई, हल्का पटवारी द्वारा जो जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है ,उसमें उसके द्वारा अनुमति प्रदान करने की अनुशंसा की गई है। तहसीलदार द्वारा आवेदक के	

कथन भी अंकित किये गये हैं, जांच प्रतिवेदन में उनके द्वारा पाया गया कि वाद भूमि से लगकर भावना सिंह पत्नि मनीष सेंगर (आवेदक की पत्नि) के नाम से खसरा नंबर 2/1 में भूमि स्वामी हक में भूमि दर्ज है। उसमें वृक्ष भी लगा लिये हैं, उक्त भूमि पर वृक्षारोण किये जाने से शासन को नुकसान नहीं होगा।

4— यह कि मात्र इस आधार पर वाद भूमि नजूल भूमि है, बृक्षारोपड़ की अनुमति प्रदान न करने संबंधी आदेश से मैं सहमत नहीं हूँ। बर्तमान परिदृष्य में प्रदूषण दिन प्रतिदिन बड़ रहा है, शासन बृक्षारोपड़, उद्यानिकी आदि पर करोड़ों रूप्या ब्यय कर रहा है, जबकि आवेदक तो स्वयं के व्यय से बृक्षारोपड़ करना चाहता है, जबकि भूमि शासन के नाम पर ही रहेगी।

अतः मैं आवेदक अधिवक्ता के तर्कों से सहमत होते हुये कलेक्टर टीकमगढ़ का प्रकरण कमांक 71/बी121/2010—11 में पारित आदेश दिनांक 30/08/2012 एवं अपर आयुक्त सागर द्वारा प्रकरण कमांक 102/बी121/2014—15 में पारित आदेश दिनांक 12/02/2015 निरस्त करता हूँ। आवेदक को ग्राम सावंतनगर, स्थित भूमि खसरा नंबर 2/2 रकवा 1.619 हेक्टर पर निम्न शर्तों के अधीन बृक्षारोपण करने की अनुमति प्रदान की जाती है :—

1— उपरोक्त भूमि पूर्णतया शासकीय रहेगी।
2— आवेदक उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का स्थाई निर्माण नहीं करेगा।
3— उपरोक्त भूमि यदि उबड़ खाबड़ है, तो पहिले आवेदक उसको समतल करेगा, उसकी गुणबत्ता में सुधार करेगा, तदुपरांत ब्यवस्थित तरीके से लाईनों में बृक्षारोपड़ करेगा।
3— बृक्षों को तार फेंसिग करके/टी गार्ड लगाकर/ बाउंड्री बनाकर उनकी सुरक्षा, देखरेख एवं अन्य ब्यवस्थायें आवेदक स्वयं अपने ब्यय पर करेगा।
4— बृक्षारोपण से भविष्य में जो भी फलादि प्राप्त होंगे उन पर आवेदक का अधिकार होगा, उनसे जो भी आय प्राप्त होगी वह भी आवेदक उन्हीं बृक्षों पर ब्यय करेगा।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर यह स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जाबेगी।

उपरोक्तानुसार निगरानी निराकृत की जाती है। तहसीलदार ओरछा राजस्व अभिलेख में आदेश का अमल करें। प्रकरण का परिणाम दर्ज करके दा0द0 हो।

सदस्य